

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

अतारंकित प्रश्न ँ : 4456  
20 ँ, 2020 प्रश्न त

4456. श्री पीके कुन्हालीकुट्टी:

क स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री े करगे कि:

(क) क्या सरकार ने एफएसएसएआई म रक्तियों को भरने के लिए परीक्षा आयोजित को है और यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चयनित किए गए व्यक्तियों के संविदा कमचारियों का स े ि , तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

( ) क ि ँ उनको परीक्षा आयोजित करने पर भी ि , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, क ;

( ) क म संविदा कमचारियों को परीक्षा के बिना स्थायी करने पर विचार कर ि , तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, क ?

त

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ( श्री अश्विनी कुमार चौबे)

( ): ँ ँ और मानक प्राधिकरण(एफएसएसएआई) ने विभिन्न स्तरों पर विज्ञापन -01/2019, -02/2019, -03/2019, के माध्यम से चयन हेतु कुल 307 रक्तियों के लिए विज्ञापन दिए ह। इन रक्तियों को भरने के लिए छंटाई को प्रकिया/कम्प्यूटर आधारित टेस्ट/लिखित ँ

( ) ( ): ि कायात्मक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अनुबंधित कमचारियों को सेवाएं ली थों ि 01.10.2018 ँ ँ ( ि ँ) को अधिसूचना के साथ अनुबंधित कमचारियों को सामान्य भर्ता प्रकिया म भी भाग लेने को आवश्यकता होती है। हालांकि, ऐसे सभी व्यक्ति जो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण(भर्ता एवं नियुक्ति) विनियम, 2018 को अधिसूचना को तारीख को ठेकागत आधार पर

काम कर रहे थे, को सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है  
-साथ उक्त विनियमों के प्रावधानों के अनुसार चयन में महत्त्व भी दिया गया है। इसीलिए  
ठेकागत कमचारियों के स्थायीकरण हेतु उनके लिए कोई पृथक परीक्षा होना विचाराधीन हैं

(घ): जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण(भर्ती एवं नियुक्ति)  
विनियम, 2018 में अनुबंध आधार पर कार्य कर रहे व्यक्तियों के समावेशन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।